

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

1410  
CE(P)  
20/5

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

श्री-का.ए.ए.  
25/5/21

50 II  
19  
25/5

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21 मई, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं में विभिन्न 14 मार्गों के निर्माण कार्य द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा सलंगन विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 14 कार्यों के विस्तृत आगणन, जिनकी लम्बाई 18.281 किमी. एवं लागत रु. 591.75 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रु. 589.87 लाख (रूपये पाँच करोड़ नवासी लाख सत्तासी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु प्रति कार्य हेतु रु. 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात् 14 कार्यों हेतु रु. 1.40 लाख (रूपये एक लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

*m*

(ix) यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रैक्टिसरमेंट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।


(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 84/XXVII(2)/2021 दिनांक 18 मई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


संलग्नक :- यथोपरि।

  
भवदीय,  
(रमेश कुमार सुधांशु)  
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/III(2)/21-56(एम0एल0ए0)2017TC तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत फत्ताबंगर के आन्तरिक मार्गों का पी०सी० द्वारा नव निर्माण का कार्य।	1.700	72.12	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत पदमपुर देवलिया के आन्तरिक मार्गों का पी०सी० द्वारा नव निर्माण का कार्य।	1.400	59.82	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत ग्राम सभा धनपुर एवं गंगारामपुर के आन्तरिक मार्गों का पी०सी० द्वारा नव निर्माण का कार्य।	1.835	71.88	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत तेजपुर नेगी, जयपुर बीसा, गंगापुर एवं गंगारामपुर के आन्तरिक मार्गों का पी०सी० द्वारा नव निर्माण का कार्य।	1.325	59.01	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत नारायणपुर कालोनी व तुलारामपुर के आन्तरिक मार्गों का पी०सी० द्वारा नव निर्माण का कार्य।	1.660	64.84	0.10
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत धौलाखेड़ा व फत्ताबंगर पश्चिम के आन्तरिक मार्गों का पी०सी० द्वारा नव निर्माण का कार्य।	1.475	67.21	0.10
7	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत बिन्दुखत्ता में स्लीपर फैंक्ट्री-लालकुआं गौलारोड लालकुआं तक मार्ग का एस०डी०बी०सी० द्वारा पुनः निर्माण का कार्य। (विस्तृत आणन)	1.700	18.62	0.10
8	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत बिन्दुखत्ता में खुरियाखत्ता में मटियाली के घर से माया कोशियारी के घर तथा लिंक मार्ग से धन सिंह के घर से दक्षिण में लिंक रोड तक मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आणन)	0.950	17.78	0.10
9	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत बिन्दुखत्ता में टैन्ट चौराहे से पटेलनगर एवं गांधीनगर-हल्दूधार-जवाहरनगर लिंक मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आणन)	1.00	18.72	0.10
10	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत बिन्दुखत्ता में सुभाषनगर में स्कूल मोड से उत्तर को नेगी परिवार आदि तक मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य। (विस्तृत आणन)	1.500	17.98	0.10
11	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत बिन्दुखत्ता में बजरी कम्पनी के सामने लालकुआं लिंक मार्ग से रावत	0.750	8.15	0.10

12	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत चोरगलिया में नया गांव कटान मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य।	0.900	27.20	0.10
13	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत ग्राम पदमपुर देवलिया व सूफ्रीभगवानपुर में पी0सी0 द्वारा नव निर्माण कार्य।	1.536	53.05	0.10
14	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-लालकुआं के अन्तर्गत स्वीकृत मदनपुर-गौलापार लिंक रोड के स्थान पर दो मार्गों का निर्माण कार्य के स्थान पर दो मार्ग जसपुर खोलिया में 360 मी0 तथा मदनपुर में SH 41 के किमी0 74 से कुवंर सिंह के घर तक 190 मी0 मार्ग का नव निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.550	33.49	0.10
योग:-		18.281	589.87	1.40

(कुल रू0 एक लाख चात्तीस हजार मात्र)

  
(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022 )  
Secretary-Secretary, PWD(S038)  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1386/III(2)/21-56(MLA)2017TC  
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21050220059  
आवंटन पत्र दिनांक-21-MAY-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिव्यय

04-District and other Roads

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
800-03-02से स्थानान्तरित )

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय		योग				
53-वृहद निर्माण				840000	140000	0		980000				
योग				840000	140000	0		980000				

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,40,000 (Rupees One Lac Forty Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक-- 470 /20 याता0'क' /2021

दिनांक-07.06.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

बिबिध प्रशासनिक अधिशासी  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लो.नि.वि. देहरादून